

“खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र”
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,

2022/241

विषय- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम अमरपुरा मदनपुरा की जमाबन्दी सम्बन्ध 2073 से 2076 के खाता संख्या 303, 304, 305

में श्री सोहनी देवी पत्नी काल्य चमार सा देवलपुरा के नाम पर सोहनी देवी पत्नी काल्य चमार सा देवलपुरा के नाम पर सा-96 दर्ज है।
अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

तथा गिवानु स्पान (अमरपुरा मदनपुरा) के नाम पर सा-96

दिनांक-

प्रार्थी

रिपोर्ट-पटवारी एवं भूअ.निरीक्षक

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम अमरपुरा मदनपुरा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्बन्ध 2073 से 2076 के खाता संख्या 303, 304, 305 में प्रार्थी का नाम सोहनी देवी पत्नी काल्य चमार सा देवलपुरा दर्ज है। जो संशोधित किया जाना उचित है।
अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू0अ0नि0

पटवारी जाल देवदा
पटवारी काल्य चमार सा देवलपुरा
बाहुण्ड नातवाडा (राज.)

रिपोर्ट तहसीलदार.....

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी मिथोलिया व भू0अ0नि0 मिथोलिया एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम अमरपुरा मदनपुरा की जमाबन्दी सम्बन्ध 2073 से 2076 की खाता संख्या 303, 304, 305 में प्रार्थी का नाम सोहनी देवी पत्नी काल्य चमार सा देवलपुरा के बजाय सोहनी देवी पत्नी काल्य चमार सा देवलपुरा किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

तहसीलदार
दीकोला जिला-भीलवाडा

198/22
17/6/22

आदेश
मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार दीकोला

ग्राम अमरपुरा-मदनपुरा जमाबन्दी सम्बन्ध

2073-76 खाता संख्या 303, 304, 305 में दर्ज प्रार्थी का नाम सोहनी देवी पत्नी काल्य चमार सा देवलपुरा के स्थान पर सोहनी देवी पत्नी काल्य चमार सा देवलपुरा सा-96

संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाडा)